



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 ज्येष्ठ 1933 (श0)
(सं0 पटना 242) पटना, शुक्रवार, 27 मई 2011

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 मई 2011

सं0 एल0जी0-1-11/2011/लेज: 113—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 25 मई, 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 11, 2011]

बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2011

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) (यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।— (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-2 का संशोधन।— बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) (इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट) की धारा-2 के खंड (क ढ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (क ण) जोड़ा जाएगा, यथा :-

(क ण) "लोक प्रहरी" से अभिप्रेत है धारा-152 की उप-धारा (5) के अधीन नियुक्त यथा लोक प्रहरी;

3. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-18 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा-18 की उप-धारा (5) की प्रथम कंडिका में यथा निम्न एक नया परन्तुक जोड़ा जायगा, यथा :-

"परन्तु, जब धारा-152 की उप-धारा (5) से संस्थित लोक प्रहरी की व्यवस्था राज्य सरकार की विधिवत् अधिसूचना के द्वारा प्रवृत्त हो जायेगी, तब सरकार, यथास्थिति, ऐसे मुखिया या उप-मुखिया को उसके पद से हटाने का आदेश लोक प्रहरी के द्वारा जाँच और पद से हटाने की अनुशंसा के आलोक में ही पारित कर सकेगा।"

4. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-27 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा-27 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जायगा, यथा :-

"(ग) अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति कर (सभी प्रकार की आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों पर कर) लगा सकेगी।"

5. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-31 का संशोधन।— (i) उक्त अधिनियम की धारा-31 की उप-धारा (1) में शब्द "सरकार द्वारा यथा विहित प्राधिकारी" शब्द "भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-31 की उप-धारा (2) में शब्द "विहित प्राधिकारी" शब्द "भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा-31 की उप-धारा (3) में शब्द "विहित पदाधिकारी" शब्द "भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(iv) उक्त अधिनियम की धारा-31 की उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित एक नई उप-धारा (4) जोड़ी जाएगी, यथा—

"(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार की वार्षिक रिपोर्ट राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।"

6. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-44 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा-44 की उप-धारा (4) की प्रथम कंडिका में यथा निम्न एक नया परन्तुक जोड़ा जायगा, यथा :-

"परन्तु, जब धारा-152 की उप-धारा (5) से संस्थित लोक प्रहरी की व्यवस्था राज्य सरकार की विधिवत् अधिसूचना के द्वारा प्रवृत्त हो जायेगी, तब सरकार, यथास्थिति, ऐसे प्रमुख/उप प्रमुख को उसके पद से हटाने का आदेश लोक प्रहरी के द्वारा जाँच और पद से हटाने के अनुशंसा के आलोक में ही पारित कर सकेगा।"

7. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-55 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा-55 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जायगा, यथा :-

"(ग) अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति कर (सभी प्रकार की आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों पर कर) लगा सकेगी।"

8. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-59 का संशोधन।— (i) उक्त अधिनियम की धारा-59 की उप-धारा (1) में शब्द "सरकार द्वारा यथा विहित प्राधिकार" शब्द "भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-59 की उप-धारा(2) में शब्द "विहित प्राधिकार" शब्द "भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा-59 की उप-धारा(3) में शब्द "विहित पदाधिकारी" शब्द "भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(iv) उक्त अधिनियम की धारा-59 में उप-धारा(3) के पश्चात् निम्नलिखित एक नई उप धारा (4) जोड़ी जाएगी, यथा—

“(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार की वार्षिक रिपोर्ट राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।”

9. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-70 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा-70 की उप-धारा (5) की प्रथम कंडिका में यथा निम्न एक नया परन्तुक जोड़ा जायगा, यथा :-

“परन्तु, जब धारा-152 की उप-धारा (5) से संस्थित लोक प्रहरी की व्यवस्था राज्य सरकार की विधिवत् अधिसूचना के द्वारा प्रवृत्त हो जायेगी, तब सरकार, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का आदेश लोक प्रहरी के द्वारा जाँच और पद से हटाने की अनुशंसा के आलोक में ही पारित कर सकेगा।”

10. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-82 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा-82 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, यथा :-

“(ग) अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति कर (सभी प्रकार की आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों पर कर) लगा सकेगी।”

11. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-86 का संशोधन।— (i) उक्त अधिनियम की धारा-86 की उप-धारा (1) में शब्द “सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी” शब्द “भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार” द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-86 की उप-धारा (2) में शब्द “विहित प्राधिकारी” शब्द “भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार” द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा-86 की उप-धारा (3) में शब्द “विहित प्राधिकारी” शब्द “भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार” द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(iv) उक्त अधिनियम की धारा-86 में उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित एक नई उप-धारा (4) जोड़ी जाएगी, यथा—

“(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार की वार्षिक रिपोर्ट राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।”

12. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-97 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा-97 की उप-धारा (5) की प्रथम कंडिका में यथा निम्न एक नया परन्तुक जोड़ा जाएगा, यथा :-

“परन्तु, जब धारा-152 की उप-धारा (5) से संस्थित लोक प्रहरी की व्यवस्था राज्य सरकार की विधिवत् अधिसूचना के द्वारा प्रवृत्त हो जायेगी, तब सरकार, यथास्थिति, ऐसे सरपंच अथवा उप-सरपंच को उसके पद से हटाने का आदेश लोक प्रहरी के द्वारा जाँच और पद से हटाने की अनुशंसा के आलोक में ही पारित कर सकेगा।”

13. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-152 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा-152 की उप-धारा (3) के बाद निम्नलिखित नई उप-धाराएँ (4) एवं (5) जोड़ी जाएंगी, यथा :-

“(4) उप धारा (1) के अधीन की गई जाँच से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उप-धारा (5) के अधीन गठित लोक प्रहरी के विचार एवं यथोचित निर्णय हेतु समर्पित की जायेगी।”

“(5) लोक प्रहरी।— (i) सरकार पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों हेतु लोक प्रहरी तंत्र स्थापित करेगी।

(ii) लोक प्रहरी की नियुक्ति, सेवाशर्त, कृत्य एवं शक्तियाँ इत्यादि ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाय।

(iii) राज्य सरकार द्वारा लोक प्रहरी की व्यवस्था के प्रवृत्त होने के संबंध में विधिवत् अधिसूचना जिस तिथि से निर्गत की जायेगी, उस तिथि से लोक प्रहरी की व्यवस्था प्रवृत्त मानी जायेगी।”

14. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-168 का संशोधन।— (i) उक्त अधिनियम की धारा-168 की उप-धारा (3) में वाक्य “वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की ऐसी अर्हता होगी और उनकी नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी, जो विहित की जाये।” वाक्य “वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्हता एवं अनर्हता निम्नवत् होगी और उनकी नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी, जो विहित की जाये।” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-168 की उप-धारा (3) में निम्नांकित नयी कंडिकाएँ (क) एवं (ख) जोड़ी जाएगी, यथा :-

(क) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्हताएँ :- आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा, जिसे सार्वजनिक कार्यकलापों का अनुभव हो तथा दो अन्य सदस्य वैसे व्यक्तियों में से नियुक्त किये जायेंगे जिन्हें,

(i) सरकार के वित्त एवं लेखा की विशेष जानकारी हो, अथवा

(ii) वित्तीय मामलों एवं प्रशासन का विस्तृत अनुभव हो, अथवा, जो :-

(iii) पंचायत राज प्रशासन, शहरी स्थानीय निकाय एवं उसके कार्यकलापों का विशेषज्ञ हो, अथवा

(iv) अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो।

(ख) आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के लिए निरर्हताएँ :- कोई व्यक्ति आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य पद पर नियुक्त अथवा कार्यरत रहने हेतु अनर्ह होगा यदि वह व्यक्ति,

- (i) विकृत चित्त हो,
- (ii) अनुमोचित दिवालिया घोषित किया गया हो,
- (iii) नैतिक कदाचार के आरोप में दण्डित किया गया हो,
- (iv) आर्थिक अथवा अन्य हित रखता हो उसकी आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में कार्य संपादन में अनुचित रूप से प्रभाव डालता हो।

15. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-170 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा-170 निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा :-

“170. लोक सेवक।— ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया एवं सभी सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख एवं सभी सदस्य, जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच एवं सभी पंच और उक्त संस्थाओं के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम 45, 1860) की धारा-21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा, जब वे इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गई नियमावली या उप-विधि के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अनुसरण में या अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य करें या करने के लिए तात्पर्यित हों।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

27 मई 2011

सं० एल०जी०-1-11/2011/लेज: 114- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 मई 2011 को अनुमत बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 11, 2011]

The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2011

AN
ACT

To Amend the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Act 6, 2006) (As amended)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty second year of the Republic of India as follows :-

1. Short Title, Extent and Commencement — (1) This Act may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section-2 of the Bihar Act 6, 2006 — After clause – (a n) of Section-2 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006) (hereinafter referred to as the Act) the following new clause (a o) shall be added, namely :-

(a o) "Lok Prahari" means a person appointed as the Lok Prahari under sub-section (5) of Section-152.

3. Amendment of Section-18 of the Bihar Act 6, 2006 — A new proviso shall be added to the first paragraph of sub section (5) of Section-18 of the Act as under:-

"Provided when a system of Lok Prahari, instituted under sub-section (5) of Section-152 comes into force by a valid notification of the State Government, the Government may only pass order of removal of such Mukhiya or Up-Mukhiya, as the case may be, in the light of inquiry and recommendation of Lok Prahari for the removal."

4. Amendment of Section – 27 of the Bihar Act 6, 2006 ← After clause (b) of Sub-Section (1) of Section-27 of the Act, the following a new clause (c) shall be added, namely :-

“(c) May impose property tax (tax on all type of residential and commercial holdings) within the local limits of its jurisdiction.”

5. Amendment of Section-31 of the Bihar Act 6, 2006 ← (i) In sub-section (1) of Section-31 of the Act, the words "authority as may be prescribed by the Government" shall be substituted by The words "Comptroller and Auditor General of India or an authority authorized by him".

(ii) In sub-section (2) of Section-31 of the Act, the words "Prescribed authority" shall be substituted by The words "Comptroller and Auditor General of India or an authority authorized by him."

(iii) In sub-section (3) of Section-31 of the Act, the words "Prescribed authority" shall be substituted by The words "Comptroller and Auditor General of India or an authority authorized by him."

(iv) After Sub-Section-(3) of Section-31 of the Act, the following new Sub-Section (4) shall be added, namely:-

"(4) Annual report of the Comptroller and Auditor General of India or an authority authorized by him shall be laid on before the both houses of the State Legislature."

6. Amendment of Section-44 of the Bihar Act 6, 2006 ← A new proviso shall be added to the first paragraph of sub section (4) of Section-44 of the Act as under :-

"Provided when a system of Lok Prahari, instituted under sub-section (5) of Section-152 comes into force by a valid notification of the State Government, the Government may only pass order of removal of such Pramukh /Up-Pramukh, as the case may be in the light of in inquiry and recommendation of Lok Prahari for the removal."

7. Amendment of Section-55 of the Bihar Act 6, 2006 ← After clause (b) of sub-section (1) of Section-55 of the Act, the following new Sub-Section (c) shall be added, namely :-

“(c) May impose property tax (tax on all type of residential and commercial holdings) within the local limits of its jurisdiction.”

8. Amendment of Section-59 of the Bihar Act 6, 2006 ← (i) In sub-section (1) of Section-59 of the Act, the words "authority as may be prescribed by the Government" shall be substituted by The words "Comptroller and Auditor General of India or an authority authorized by him".

(ii) In sub-section (2) of Section-59 of the Act, the words "Prescribed authority" shall be substituted by The words "Comptroller and Auditor General of India or an authority authorized by him."

(iii) In sub-section (3) of Section-59 of the Act, the words "Prescribed authority" shall be substituted by The words "Comptroller and Auditor General of India or an authority authorized by him."

(iv) After sub-section (3) of Section-59 of the Act, the following new sub-section (4) shall be added, namely:-

"(4) Annual report of the Comptroller and Auditor General of India or an authority authorized by him shall be laid on before the both houses of the State Legislature."

9. Amendment of Section-70 of the Bihar Act 6, 2006 ← A new proviso shall be added to the first paragraph of sub-section (5) of Section-70 of the Act as under:-

"Provided when a system of Lok Prahari, instituted under sub-section (5) of Section-152 comes into force by a valid notification of the State Government, the Government may only pass order of removal of such Adhyaksha or Upadhyaksha, as the case may be in the light of inquiry and recommendation of Lok Prahari for the removal."

10. Amendment of Section-82 of the Bihar Act 6, 2006 — After clause (b) of sub-section (1) of Section-82 of the Act, the following new Sub-Section (c) shall be added, namely :-

“(c) May impose property tax (tax on all type of residential and commercial holdings) within the local limits of its jurisdiction.”

11. Amendment of Section-86 of the Bihar Act 6, 2006 — (i) In sub-section (1) of Section-86 of the Act, the word "authority as may be prescribed by the Government" shall be substituted by "Comptroller and Auditor General of India or an authority authorized by him".

(ii) In sub-section (2) of Section-86 of the Act, the words "Prescribed authority" shall be substituted by The words "Comptroller and Auditor General of India or an authority authorized by him."

(iii) In sub-section (3) of Section-86 of the Act, the words "Prescribed authority" shall be substituted by The words "Comptroller and Auditor General of India or an authority authorized by him."

(iv) After sub-section (3) of Section-86 of the Act, the following new sub-section (4) shall be added, namely:—

"(4) Annual report of the Comptroller and Auditor General of India or an authority authorized by him shall be laid on before the both houses of the State Legislature."

12. Amendment of Section-97 of the Bihar Act 6, 2006 — A new proviso shall be added to the first paragraph of sub section (5) of Section-97 of the Act as under:-

"Provided when a system of Lok Prahari, instituted under sub-section (5) of Section-152 comes into force by a valid notification of the State Government, the Government may only pass order of removal of such Sarpanch or Up-Sarpanch, as the case may be in the light of inquiry and recommendation of Lok Prahari for the removal."

13. Amendment of Section-152 of the Bihar Act 6, 2006 — After sub-section (3) of Section-152 of the said Act, the following new sub sections (4) and (5) shall be added, namely :-

"(4) Inquiry report in respect of the inquiry conducted under sub-section-(1) shall be submitted before the Lok Prahari constituted under sub-section-(5) for consideration and appropriate decision."

"(5) Lok Prahari — (i) The Government shall establish a system of Lok Prahari for Panchayat and Gram Kutchahary.

(ii) Appointment, service conditions, functions and powers etc. of the Lok Prahari shall be such as it may be prescribed.

(iii) The system of Lok Prahari shall deemed effective from the date on which a valid notification in respect of the system of Lok Prahari becoming functional is issued by the State Government."

14. Amendment of Section-168 of the Bihar Act 6, 2006 — (i) The sentence "The Chairman and members of the Finance Commission shall be appointed in such manner as may be prescribed" in sub-section (3) of Section-168 of the Act, shall be substituted by the sentence "qualification and disqualification of the Chairman and the members of the Finance Commission shall be as follows and their appointment shall be in such manners as may be prescribed."

(ii) In sub-section (3) of Section-168 of the said Act, the following new clauses (a) and (b) shall be added, namely :-

(a) Qualifications of Chairman and Members of Commission :-

The Chairman of the Commission shall be such person who shall have the experience of social activities and the other two Members shall be appointed from among such persons who,

- (i) Possesses special knowledge of Finance and Accounts of the government, or
- (ii) Possesses wide experience of financial matters and administration, or who
- (iii) is an expert in Panchayat Raj Administration, Urban Local Bodies and its functions.
- (iv) has an specialization in economics.

(b) disqualifications for Chairman or Members of the Commission:-

A person shall be ineligible for appointment as Chairman or Member or to continue as such, if such person :-

- (i) is of unsound mind,
- (ii) has been declared bankrupt,
- (iii) has been punished for the charge of moral turpitude,
- (iv) have economic or other interest which affects improperly in performance of duty as Chairman or Member.

15. Amendment of Section-170 of the Bihar Act 6, 2006 ← Section-170 of the aforesaid Act shall be substituted by the following, as :

"170. Public Servant ← All members, Up-Mukhiya, Mukhiya of the Gram Panchayat, all members, Up Pramukh and Pramukh of the Panchayat Samiti, all members, Upadhyaksha and Adhyaksha of the Zila Parishad and all Panches, Upsarpanch and Sarpanch of the Gram Kutchahary and all officers and employee of the aforesaid institutions shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act, 45 of 1860), when acting or purporting to act in pursuance of the discharge of their duties, or in the exercise of their powers under this Act or under the rules or bye-laws made thereunder."

By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 242-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>